राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 134/2014

Laduram
Vs.
Kana Ram & Ors.

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अजय कुमार वाजपेयी।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री सुमेर सैनी।

:: आदेश :: **03.02.2017**

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 635 दिनांकित 06.01.2017 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र के जरिये अपीलार्थी लादुराम की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप उसके विधिक उत्तराधिकारीगण को अभिलेख पर लेने की प्रार्थना की गई है। अपीलार्थी की मृत्यु दिनांक 15.10.2016 को होना बताया गया है तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2017 को पेश किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र मियाद में प्रस्तुत हुआ है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और प्रार्थना पत्र में वर्णित अपीलार्थी के विधिक उत्तराधिकारीगण को अभिलेख पर लिया जाता है। संशोधित शीर्षक अपील पत्रावली पर प्रस्तुत है, अतः कार्यालय द्वारा उसे पत्रावली में उचित स्थान पर संलग्न किया जाए।

यह पत्रावली एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या 201/2014 के साथ संलग्न सूचीबद्ध हो।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/–